(48)

संख्या- /2012/22/ix/ 2009

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

परिवहन एवं नागरिक उडडयन अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 06 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2012

विषयः- **जनपद पिथौरागढ़ स्थित नैनी-सैनी हवाई पट्टी के उच्चीकरण, विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रू0 4819.63 लाख के सापेक्ष रू0 300.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0 के पत्र संख्या-732/यू0एस0आई0डी0सी0एल0-131डी/2012 दिनांक 04 सितम्बर, 2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

II- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पिथौरागढ़ स्थित नैनी-सैनी हवाई पट्टी के उच्चीकरण, विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कार्यदायी संस्था, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0 के माध्यम से प्राप्त डी0पी0आर0 ₹6491.98 लाख के आगणन के सापेक्ष वित्त विभाग टी0ए0सी0/वित्त व्यय समिति द्वारा कुल ₹4819.63 लाख की योजना पर सहमति व्यक्ति करते हुए विभाग द्वारा संस्तुत ₹1109.57 लाख के आगणन के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अनुसार तथा अवशेष ₹ 3703.991 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹300.00 लाख (₹ तीन करोड़) व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखते हुए श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. परियोजना के लिए नियुक्त ठेकेदार से किये जाने वाले अनुबन्ध में एक वर्ष के लिए defect liability का उल्लेख किया जाये।
2. योजना कार्य के तकनीकी स्वरूप को देखते हए, निर्माण होने के पश्चात आगामी तीन वर्षों के लिए annual maintenance contract (AMC) किये जाने की व्यवस्था/प्राविधान किया जाए।
3. परियोजना लागत में टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित centage मद में देय धनराशि रू0 336.83 लाख के अन्तर्गत ही consultancy देय होगी।
4. योजना कार्य higher technology से सम्बन्धित है, अतः इसकी गुणवता परीक्षण के कार्य नियोजन विभाग द्वारा expert/specialised संस्था यथा आई0आई0टी0/सी0बी0आर0आई0 रूड़की अथवा अन्य विशेषज्ञ संस्था से कराया जाये। इस हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्ताव नियोजन विभाग को प्रेषित किया जाए।

-2-

5. D.G.C.A.& Airport Authority तथा सम्बन्धित विभागों से अनुमोदन/अनापत्ति पश्चात ही निर्माण कार्यों को प्रारम्भ किया जाए।

6. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकरी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

7. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

8. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

9. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

10. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपर्युक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

11. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

12. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219 (2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

13. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

14. स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था/उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0, देहरादून को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट अथवा कोषागार चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण 31.3.2012 तक अवश्य कर लिया जाय। निर्माण कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक सूचना निर्धारित प्रपत्र पर शासन एवं निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि दिनांक 31–03–2012 तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दी जायेगी। अग्रिम का समायोजन दिनांक 31–3–2012 तक अवश्य कर दिया जायेगा।

16– धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17– इस सम्बन्ध में व्यय विवरण तथा आवश्यक बाउचर आदि सुरक्षित रखे जायेंगे।

18– कार्यदायी संस्था को आवंटित कार्य निश्चित समय सीमा में पूर्ण कराया जाना होगा तथा कार्य की गुणवत्ता में कमी, कार्यो में शिथिलता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण इकाई पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी ।

III- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 5053–नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय 02–विमानपत्तन 800–अन्य व्यय आयोजनागत 99–नैनीसैनी हवाई पट्टी का विस्तारीकरण 24–वृहद निर्माण मद के नामें डाला जायेगा।

क्रमशः

IV- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-340/XXVII (2)/2012, दिनांक 19 नवम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

/

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-257(1)/2012/22/ ix/2009, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (आडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी-1/105 इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (ए एण्ड ई) उत्तराखण्ड ओबेराय, मोटर्स, बिल्डिंग माजरा देहरादून।
3. राज्य योजना आयोग को इस आशय से कि वे उक्त परियोजना की गुणवता परीक्षण के कार्य expert/specialised संस्था यथा आई0आई0टी0/सी0बी0आर0आई0 रूड़की अथवा अन्य विशेषज्ञ संस्था से अपने स्तर से कराया जाना सुनिश्चित करेंगें तथा प्रगति रिपोर्ट से इस विभाग को भी अवगत करायेगें।
4. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
6. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
7. सातवां वृत्त, लो0नि0वि0, गोपेश्वर, निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0, ऊखीमठ,रूद्रप्रयाग।
8. वित्त अनुभाग-2
9. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

f-2